

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर

क्रमांक : लेखा/मु./विविध/2024-25/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

कार्यालय के आदेश क्रमांक: स्थाई भण्डार/सामान्य पत्रावली/2024/23 दिनांक 26.04.2024 के द्वारा विभागीय उपापन हेतु उपापन समिति का गठन किया हुआ है। परन्तु देखने में आया है कि कुछ अनुभाग/Nodal Officer के द्वारा उपापन समिति के अनुमोदन/अनुशंषा के बिना ही Single Source या Direct Procurement स्वयं के स्तर से उपापन हेतु, क्रय आदेश जारी किये जा रहे हैं, जो RTPP Act 2012 एवं नियम-2013 में उल्लेखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः सभी अनुभाग/Nodal Officer निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार का उपापन, उपापन समिति के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।

निदेशक (जन-स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 25.2.25

क्रमांक : लेखा/मु./विविध/2024-25/853

प्रतिलिपि:-निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सहायक, निदेशक (जन-स्वास्थ्य) मुख्यालय।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक मुख्यालय।
3. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
4. कार्यालयाध्यक्ष कम राज्य कुष्ठरोग अधिकारी, मुख्यालय।
5. समस्त अनुभाग/नोडल अधिकारी, मुख्यालय।

✓ 6. पुष्पारी सर्वर क्रम को भेजकर लेव ह डि इन्फार्मि हो
विभागीय वेबलप्ट पर अपलोड हो।

निदेशक (जन-स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation : Director
Date :10-02-2025 10:28:55